न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 76 / 2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

1. अभिजोतसिंह पुत्र दिलराजसिंह नाबालिग जरिए कुदरती बली सरपरस्त माता खुद परविन्द्रकौर पत्नी दिलराजसिंह जाति जटसिख साकिन मालारामपुरा तहसील संगरिया
2. परविन्द्रकौर पत्नी दिलराजसिंह जाति जटसिख साकिन मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादीगण—

बनाम

1. दिलराजसिंह पुत्र लाभसिंह जाति जटसिख साकिन मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. जसमीनकौर पुत्री दिलराजसिंह जाति जटसिख साकिन मालारामपुरा तहसील संगरिया
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित — 1. ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट (वादी)
2. नवरत्न स्वामी एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 2)

निर्णय

दिनांकः— 24.2.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 एक ही परिवार के व्यक्ति है। प्रतिवादी संख्या एक वादी संख्या 1 का पिता व वादी संख्या 2 का पति है, तथा प्रतिवादिया संख्या 2 वादी संख्या 1 की सगी बहिन व वादी संख्या 2 की सगी पुत्री है। वादी संख्या 1 के पिता दिलराजसिंह पुत्र लाभसिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक नम्बर 6 के.एस.डी. खाता सं. 79/75 में 1.859 है0 व खाता सं. 125/16 में 0.493 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में है। नकल जमाबन्दी हमराह दावा है। जमाबन्दी का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:— चक न0 6 के.एस.डी. खाता सं. 79/75 में प0न0 154/111मु.न. 34 कि.न. 16, चक न0 6 के.एस.डी. खाता सं. 125/16 में प0न0 155/111मु.न. 35 कि.न.6/1 उक्त पहरा संख्या 3 मे वर्णित प्रश्नगत भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की विरास्तन एवं पैतृक सम्पति है जिसमें वादी संख्या एक का जन्मजात हक व हिस्सा बनता है। जिसे वादी घोषित कराने का मुस्तहक एवं दावेदार है। पहरा संख्या 3 में वर्णित विवादित भूमि में प्रतिवादीया संख्या 2 किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा प्रतिवादिया संख्या 2 अपने समस्त हिस्सा की भूमि वादी के पक्ष में छोड़ दी है इस प्रकार वादी अब अपने जन्मजात हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का घरू विभाजन हो चुका है मुताबिक घरू विभाजन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज है अब वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विभाजन होने के कारण वादीया संख्या 2 भी अपना भविष्य सुरक्षित रखते हुए विभाजन की अधिकारिनि है। वादिया संख्या 2 अपने बच्चों की शिक्षा पालन—पोषण व अपना भविष्य का ध्यान रखते हुए अपने ससुर से पति को प्राप्त कुल भूमि में 1.859 है0 भूमि स्वंय के तथा शैष 0.493 है0 अपने पुत्र वादी संख्या 1 के नाम से घोषित कराना चाहती है इसी अमर की घोषणात्मक डिकरी पाने के वादीगण मुस्तहक व दावेदार है। वादीगण की आय श्रोत मात्र प्रशनगत भूमि ही है जिससे वादीगण अपने परिवार का भरण पोषण करते है। समस्त भूमि नाबालिग बच्चे के नाम होने से वादीया उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ है तथा वादीया संख्या दो अपने नाबालिग बच्चे की शिक्षा पालन—पोषण व अपना भविष्य का ध्यान रखते हुए अपने पति के नाम भूमि में से 0.493 है0 भूमि वादी संख्या एक के नाम व शेष 1.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

859 भूमि अपने नाम घोषित कराना चाहती है इस बाबत पिछले सप्ताह वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कहा गया कि वे तहसील कार्यालय में जाकर घरू विभाजन अनुसार भूमि वादीगण के नाम करवा देवे तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से कतई तौर पर इन्कार कर दिया है बस यही वाद कारण है। शेष कथन वर वक्त बहस मान्निय न्यायालय की आज्ञा से अर्ज किये जावेगें। प्रतिवादी संख्या 3 भूँ–धारक होने के कारण फौरमल पक्षकार बनाये गये है जिनके खिलाफ कोई सापेक्ष अनुतौष नहीं चाहा गया है। दावा बाबत इस्तकरार हक का है जो 2/रू. के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है तथा मान्निय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अन्दर मियाद है।

लिहाजा वाद वादी बहक वादीगण विरूद प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकरी फरमाया जावे कि वादीगण तहसील संगरिया के चक नम्बर चक नम्बर 6 के.एस.डी.खाता सं. 125/16 में वादी संख्या 1 अभिजोत सिंह कुल 0.493 है0 व खाता सं. 79/75 में वादीया संख्या 2 कुल 1.859 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त चक नम्बर चक नम्बर 6 के.एस.डी. खाता सं. 125/16 व खाता सं. 79/75 से दिलराजसिंह का नाम कलमजन कर वादीगण का नाम दर्ज किया जाने के आदेश दिये जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एव प्रति.सं. 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रस्तुत कर दावा को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी परविन्द्रकौर ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा निम्न दस्तावेज प्रदर्श करवाये:–

1. चक 6 केएसडी खाता सं. 79/75 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 की जमाबंदी प्रदर्श 1
2. चक 6 केएसडी खाता सं. 125/16 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 की जमाबंदी प्रदर्श–2
3. चक 6 केएसडी नामान्तरण संख्या 79 प्रदर्श–3

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 6 केएसडी खाता सं. 79/75 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एव चक 6 केएसडी खाता सं. 125/16 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में प्रतिवादी संख्या 1 दिलराज सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 वादी संख्या 1 का पिता, व वादी संख्या 2 पति एवं 3 वादी संख्या 1 की बहिन एवं वादी सख्या 2 की पुत्री है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 6 केएसडी नामान्तरण संख्या 79 की फोटोप्रति पेश की गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रतिवादी सं. 1 वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 का पिता एव वादी संख्या 2 का पति है जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 केएसडी खाता सं. 79/75 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एव चक 6 केएसडी खाता सं. 125/16 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो प्रदर्श–3 से विरास्तन साबित है एव वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार किया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं
खण्ड अधिकारी
संगरिया

के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कुछ हिस्सा अपनी पत्नि वादी सख्या 2 के पक्ष में भी छोड़ रहा है। लेकिन यह कार्यवाही पक्षकारान ने राज्य के राजस्व को हानि पहुंचाने के लिए की गई है। जिससे न्यायालय खातेदारी अधिकारों की घोषणा से पूर्व राज्य हित को देखना नितान्त आवश्यक समझा और ऐसी स्थिति में तहसीलदार राजस्व संगरिया को वादी संख्या 2 के पक्ष में हुए हिस्से के संबंध में नियमानुसार पंजीयन शुल्क वसूल करने के आदेश दिये जाकर वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाकर तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी संख्या 2 के पक्ष में छोड़े गए हिस्सा के संबंध में नियमानुसार पंजीयन शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 6 केएसडी खाता सं. 125/16 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 मे दर्ज कृषि भूमि का वादी संख्या 1 एव चक 6 केएसडी खाता सं. 79/75 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में दर्ज कृषि भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खातो से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्तानुसार पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 24.2.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया